DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, this is highly objectionable. ...*(Interruptions)*... We are walking out.

[At this stage, some hon. Members left the Chamber.]

SHRI BHARATKUMAR RAUT (Maharashtra): Sir, I want a clarification. Hon. Railway Minister is here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, what is it?

SHRI BHARATKUMAR RAUT: Sir, I want to bring to the notice of the House that the hon. Railway Minister has made comments during his reply to the Supplementary Demands, which were. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, that is over. ...*(Interruptions)*... No, you should have raised the issue then only. ...*(Interruptions)*... Please, sit down.

STATEMENTS BY MINISTER – *Contd.*

National Land Records Modernisation Progress (N.L.R.M.P.)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में यू.पी.ए. सरकार के एन.सी.एम.पी. में यह परिकल्पना की गई है कि "राजस्व प्रशासन को पूर्णतः आधुनिक बनाया जाएगा तथा स्पष्ट भूमि स्वामित्वाधिकार तैयार किए जाएंगे। इस प्रावधान पर अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ व्यापक एवं गहन परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया। मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त, 2008 को अपनी बैठक में एन.एल.आर.एम.पी. को अनुमोदित कर दिया है।

एन.एल.आर.एम.पी. का मुख्य उद्देश्य आधुनिक, व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वामित्व की गारंटी के साथ निश्चायक भूमि स्वामित्वाधिकार प्रणाली को लागू करना है।

यह केन्द्र प्रायोजित योजना होगी, जिसके निम्नलिखित घटक होंगे:-

(iv) भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण सहित भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, लिखित तथा स्थानिक आंकड़ों का समेकन, तहसील और राज्य स्तर पर आंकड़ा-केन्द्र स्थापित करना, राजस्व कार्यालयों को अंतः सम्बद्ध करना।

(v) आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकल्पों का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण करना तथा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभिलेखों को अद्यतन करना।

(vi) राजस्व कार्यालयों के साथ उप-पंजीयक के कार्यालयों को अंतः सम्बद्ध करने के साथ-साथ पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण करना।

(vii) तहसील स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्र स्थापित करना।

(viii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

(ix) मूल भौगोलिक सूचना प्रणाली।

एन.एल.आर.एम.पी. की कुल पूंजीगत लागत 5656 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन की इकाई जिला होगा। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत देश के सभी जिलों को 12वीं योजना के अंत तक शामिल किया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संघटकों के लिए राज्य के भाग को पूरा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत विनिर्धारित सभी कार्यकलापों को एक क्रमबद्ध पद्धति से शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के अंत तक समग्र राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

महोदय, एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा तंत्र में जिला और राज्य स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा समितियों की परिकल्पना की गई है। अन्य व्यक्तियों में स्थानीय संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, जिला स्तर पर समिति के सदस्य होंगे। समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार करेगी।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत 473.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम-से-कम 1-2 जिलों में कार्यक्रम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

———————

GOVERNMENT BILLS – *Contd.*

The Unorganised Sector Workers' Social Security Bill, 2007

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: Mr. Tapan Sen, do you want to speak?

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Yes, Sir.

MR. DEPUTY-CHAIRMAN: Within five minutes you should complete it, because your party time is over.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, at the outset, although I welcome or rather laud the laudable intention of the hon. Labour Minister in bringing the Unorganised Sector Workers' Social Security Bill, 2007, I am sorry and I regret that I cannot laud the action, as stipulated in the Bill, as the concrete action that has been taken in the Bill is not at all consistent with the laudable intention, thereby rendering it just a sound bite without any substance.

So far as the Statement of Objects and Reasons of the Unorganised Sector Workers' Social Security Bill is concerned, it is well packaged. But it has no content inside. Let me very briefly put forth my views.

One, the social security benefit that are supposed to be given to the unorganised sector workers, who constitute 93 per cent of the workforce of the country, the only vehicle of delivering that social security benefit are some schemes which are appended in the Bill. That is the only instrument by which the social security benefit will be delivered or supposed to be delivered to the unorganised sector workers. And the Government is lending its support to all those schemes are only for the persons below the poverty line. As on date, as a matter of fact, which is carved in stone, 95 per cent of the unorganised sector workers, for whom the Bill is targeted, are all above the poverty line, as defined by the Government of India, on the basis of household consumption standard. This is a matter of fact. The Bill is titled 'The Unorganised Sector Workers' Social Security Bill,' and 95 per cent of the unorganised workers are out of the purview of the benefit of the Bill. This is the brazen fact. And if this be the fact, the Bill can only be called a package without any content. And on this premise, I have suggested certain amendments. I request the hon. Labour Minister to incorporate those amendments in the Bill. I also request to make the Statement of Objects and Reasons, to